

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

कमांक ...../दो-15-28/87

जबलपुर, दिनांक...11/07/2023

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश कमांक फा0 कमांक 3(ए)19/2003/21-ब(एक), दिनांक 15.01.2010 के अंतर्गत श्री विजय डांगी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा एलएल0एम0 की उपाधि धारण किये जाने के फलस्वरूप 03 अग्रिम वेतनवृद्धियों की पात्रता होने पर एंट्री वेतनमान रूपये 144840-194660/- में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

क.	अधिकारी का नाम	उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति का (सीधी भर्ती) दिनांक	प्राप्त वेतन	वेतनवृद्धि का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	श्री विजय डांगी (240009624)	21.05.2018	144840/-	- 21.05.2018 (03 Adv. Increment for LL.M) 21.05.2019 21.05.2020 21.05.2021 21.05.2022 21.05.2023	144840/- 158280/- 163030/- 167920/- 172960/- 178150/- 183490/-	21.05.2018 21.05.2018 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

10.7.23  
(अजय पवार)  
रजिस्ट्रार(एम)

पृ. कमांक ...../दो-15-28/87  
प्रतिलिपि:-

जबलपुर, दिनांक...11/07/2023

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर/सतना/इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)लेखा/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री विजय डांगी, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**नोट:-**रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकापी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।

10.7.23  
रजिस्ट्रार(एम)